

निदेशालय सैनिक कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून
विज्ञापित

1. निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड सरकार के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों के रिक्त पदों हेतु चयन व नियुक्ति होनी है। इस हेतु सेना के तीनों अंगों के कर्नल/ले0 कर्नल व समकक्ष अवकाश प्राप्त सैन्य अधिकारी, जो निम्न अर्हताएं पूर्ण करते हों, अपने आवेदन पत्र निदेशक (सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास) उत्तराखण्ड सरकार, 15 सी कालीदास मार्ग, पो0ओ0 हाथीबड़कला, देहरादून, पिन नं0 248001, के पते पर दिनांक 20 फरवरी, 2016 तक प्रेषित कर सकते हैं।

आवश्यक अर्हताएं निम्नवत हैं :-

- (क) आवेदक की आयु दिनांक 01 जनवरी 2016 को 57 वर्ष से अधिक न हों।
 - (ख) आवेदक का पंजीकरण पुनर्वास महानिदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में पंजीकृत होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र पर पंजीकृत संख्या को दर्शाना आवश्यक है।
 - (ग) आवेदक चिकित्सकीय तौर पर स्वस्थ एवं विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र भ्रमण करने में सक्षम हो।
2. आवेदन पत्र में विस्तृत सेवा विवरण (Bio Data) के अतिरिक्त आवेदक की जन्मतिथि, सेना में भर्ती की तिथि, सेना से सेवानिवृत्ति की तिथि, चिकित्सकीय वर्ग, सेना में प्राप्त वीरता एवं नॉन वीरता पदक, किये गये कोर्सों का विवरण एवं मोबाईल नम्बर व ई-मेल अवश्य दर्ज किया जाए।
3. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विकल्प पत्र प्रेषित करना होगा :-
- “मैं (आवेदक का रैंक एवं नाम,) यह प्रमाणित करता हूँ कि यदि मेरी नियुक्ति उत्तराखण्ड में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के पद पर हो जाती है तो मैं उत्तराखण्ड के किसी भी जनपद में सेवा का इच्छुक हूँ।

(आवेदक के हस्ताक्षर एवं सम्पूर्ण पता) 11

4. उक्त पद पर नियुक्ति उत्तराखण्ड सरकार के साथ संविदा के आधार पर की जायेगी।
5. साक्षात्कार की तिथि पृथक से सूचित की जायेगी।
6. आवेदन पत्र को उक्त पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट या स्वयं प्रेषित कर सकते हैं।

सचिव,
सैनिक कल्याण
उत्तराखण्ड शासन।